कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

पत्रांक– 2899 /मीरजापुर/ 15 दिनांक, मीरजापुर, मार्च 14 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषय– उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड, वाराणसी द्वारा 400 के0वी0 अनपरा–वाराणसी डबल सर्किट पारेषण लाइन के निर्माण में प्रभावित रेनुकूट वन प्रभाग में 98.28 हे0 आरक्षित वन भूमि, ओबरा वन प्रभाग में 113.048 हे0 आरक्षित वन भूमि, सोनभद्र वन प्रभाग में 15.79 हे0 आरक्षित वन भूमि, मीरजापुर वन प्रभाग में 37.51 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा कैमूर वन्य जीव प्रभाग में 54.652 हे0 आरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल प्रभावित 319.28 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के लीज नवीनीकरण की अनुमति के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ–1– कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–962/11–सी– FP/UP/Trans/32650/2018 दिनांक 12.09.2022 ।

2– अधिशासी अभियंता, विद्युत प्रेषण खण्ड, द्वितीय, वाराणसी का पत्रांक– 332/वि0प्रे0ख0(ग्रा0) दिनांक 27.02.2023 ।

महोदय,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रस्ताव में उठायी गयी 06 बिन्दुओ की आपत्तियो के निवारण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–899/15/मीरजापुर/12.09.2022 एवं पत्रांक–2104/मी0/15 दिनांक 06.01.2023 द्वारा अधिशासी अभियंता, विद्युत प्रेषण खण्ड, द्वितीय, वाराणसी से उनके स्तर की कमियों का निवारण कर अपेक्षित अभिलेख/सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। तत्क्रम में उनके कार्यालय पत्रांक– 332/वि0प्रे0ख0(ग्रा0) दिनांक 27.02.2023 (प्रति संलग्न) द्वारा आपत्तियो का निम्न प्रकार निवारण किया गया ।

क्र0 सं0	आपत्तिं	निराकरण
1–	प्रस्ताव मे प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराये जाने से सम्बन्धित अभिलेख यथा Geo Referenced Digital Map, Sol Toposheet,10 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं के0एम0एल0 फाइल संलग्न नही किया गया है। अतः संलग्नकर आनलाइन भाग–2 में यथा स्थान पर अपलोड करें।	प्रस्तावक विभाग के सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित किया गया है कि–"बिन्दु संख्या–1 एवं 2 जो कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित है, के कम में अवगत कराना है कि उक्त लाइन के निर्माण के बाद से वर्तमान तक कोई नया निर्माण कार्य नही किया गया है और न ही किया जाना है। जिस कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण की देयता नही बनती है"।
2–	पारेषण लाइन के नीचे रिक्त स्थानो मे बौने मुख्यतः औषधीय पौधो का वृक्षारोण एवं 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न नही किया गया है। अतः संलग्नकर आनलाइन भाग–2 में अपलोड करें	
3–	प्रस्ताव मे संलग्न लागत लाभ विश्लेषण में एन0पी0वी0 की दर पूर्व की दरो के अनुसार है जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक कर भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.01.2022 के अनुसार संशोधित एन0पी0वी0 की दर के अनुसार लागत लाभ विश्लेषण प्रस्ताव में संलग्न करें तथा आनलाइन भाग–2 से पूर्व का त्रुटि पूर्ण लागत लाभ विष्लेषण को डिलीट कर संषोधित अपलोड करें ।	लागत लाभ विश्लेशण में एन0पी0वी0 की दर भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.01.2022 के अनुसार संशोधित दी गयी है। जिसे प्रस्ताव में संलग्न करते हुये ऑनलाइन भाग–2 से पूर्व का त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण को डिलीट कर संशोधित अपडेट कर दिया गया है।
4–	प्रस्ताव में दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है किन्तु दंडात्मक एन0पी0वी0 गणना मे दर भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.01.2022 के अनुसार नही है। अतः संशोधित एन0पी0वी0 के दर के अनुसार दंडात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न करें तथा पुरानी गणना आनलाइन भाग–2 के Addition information detail से डिलीट कर अपलोड करें।	बिन्दु संख्या–4,5,6 के सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग के सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित किया गया है कि– 400 के0वी0 अनपरा–वाराणसी डबल सर्किट विद्युत पारेशण लाइन के निर्माण हेतु लगभग 319.28 हे0 वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या–8बी/197/91– एफ0सी0, दिनांक 01.11.1993 द्वारा गैर वानिकी कार्य हेतु उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद (वर्तमान में उ0प्र0प्रा0ट्रा0का0लि0) को हस्तान्तरित किया
5–	प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट हार्ड कॉपी भाग–2 (हिन्दी वर्जन) के कमाक–6 तथा आनलाइन भाग–2 के	

	क्रमांक–12 में उल्लघंन न किये जाने का उल्लेख है जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट हार्ड कापी भाग–2 तथा आनलाइन भाग–2 में उल्लंघन की सही रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए सम्बन्धित अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न करे तथा ऑनलाइन भाग–2 से पूर्व का त्रुटि पूर्ण स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट तथा हार्डकापी भाग–2 डिलीटकर अपलोड करें।	गया था। जिसमें कोई समय सीमा नही दी गयी है एवं इनके क्रम में उप सचिव, उ0प्र0 षासन के आदेष संख्या–जी0आई0/444/दिनांक 14.02.1993 – 707/89 दिनांक 08/23 फरवरी 1994 द्वारा उक्त विद्युत पारेशण लाइन के निर्माण हेतु 319.28 है0 वन भूमि 20 वर्षो हेतु उ0प्र0 राज्य विद्युत परिशद (वर्तमान में उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0) को हस्तान्तरित किया गया था। संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन के आदेश पत्र के बिन्दु संख्या–3 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है। उक्त भूमि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिशद (वर्तमान में उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0) के उपयोग में पट्टा अवधि के अन्दर तब तक बनी रहेगी जब तक कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिशद (वर्तमान में उ0प्र0 पा0ट्रा0का0लि0) को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवष्यकता बनी रहेगी"। लीज अवधि 2014 को समाप्त हो गया था। लीज समाप्त होने के पूर्व ही अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्रस्ताव तैयार कर पत्रांक– 320/वि0प्रे0खं0–प्प (वा) दिनांक 14.03.2014 के द्वारा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग में प्रेशित किया गया । लीज नवीनीकरण प्रकिया जटिल होने के कारण तथा कोई स्पश्ट गाइड लाइन संज्ञानित न होने के कारण प्रक्रिया में समय लग रहा है। भारत सरकार की उल्लघंन से सम्बन्धित गाईड लाइन दिनांक 29.01.2018 , नये वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु अनुमति से सम्बन्धित है न कि पूर्व में दिये गये अनुमति से । उक्त परियोजना में नयी वन भूमि का उपयोग नहीं किया गया है तथा भारत सरकार द्वारा वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति में कोई समय सीमा का उल्लेख नही है। अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से लीज समाप्त से पूर्व ही प्रस्ताव तैयार कर पत्रांक–320/वि0प्रे0खं0–प्प (वा) दिनांक 14.03.2014 के द्वारा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग में प्रेषित किया गया तथा लीज समाप्त होने के पश्चात् भी लीज रेंट का भुगतान जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित नये सर्किल रेट से किया जा रहा है। अतः उक्त वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उपयोग किया जाना वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न माना जाये तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाया जाय ।
6–	दंडात्मक एनपी0वी0 जमा किये जाने की वचन बद्धता प्रस्ताव में पुनः संलग्न नही की गई है।	

संलग्नक–1–लागत लाभ विश्लेषण, 2–एन0पी0वी0 मूल्य निर्धारण, 3–प्रस्तावक विभाग का सन्दर्भित पत्र ।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

संख्या 2899 अ/समदिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ ।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, सोनभद्र ।
3. अधिशासी अभियंता, विद्युत प्रेषण खण्ड– द्वितीय , वाराणसी–220 के0वी0 , विद्युत उपकेन्द्र तलवल, हाइडिल कालोनी , गाजीपुर , पिन– 233001 ।

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा को देने हेतु प्राप्त किये
Gautam 17/3/23

UTTAR PRADESH POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED

PROTECTED FOREST LAND PROPOSED TO BE DIVERTED FOR 400 KV ANPARA VARANASI DC TRANSMISSION LINE THROUGH FOREST DIVISION MIRZAPUR ,SONEBHADRA ,OBRA,RENUKOOT AND KAIMUR WILDLIFE IN DISTRICT: SONEBHADRA & MIRZAPUR IN THE STATE OF U.P.

COST BENEFIT ANALYSIS

Purpose : This cost benefit analysis is being undertaken for proposed diversion of forest Land being affacted due to construction of access controlled

(a) Parameters for Evaluation of the loss of forests

1	Ecosystem services losses due to proposed forest diversion	Net present value of forest area to be diverted is Rs.957780 per Ha as per low density in Eco class III. (see table below) Hence losses to Eco system =468484678
2	Loss of animal husbandry ,productivity including loss of foder	Considering 10% of NPV applicable of diversion area. Hence Losses of Animal Husbandry=468484678x10%=46848468
3	Cost of human resttlement	Nil
4	Loss of public facilities and administrative infrastructure(roads,building,school,dispensaries,electric lines,railway etc) on forest land or which would require forest land or which would require forest land if these facilities were diverted due to the project	Nil
5	Possession value of forest land diverted.	Considering 30% of environmental costs (NPV) due to loss of forest. Hence losses =468484678x30%=140545403
6	Cost of suffering to oustees.	NIL
7	HabitalFragmentation Cost	Considering 50% of applicable NPV Total Losses =468484678x50%=234242339
8	Compensatory Afforestation and soil & moisture conservation cost	Considering 957780/Ha including CA and soil & Moisture Conservation cost . Hence Total Losses= 957780x319.28=305799998

Division	Proposed Forest Area (ha)	Density	NPV Rate	Ecosystem services Losses in INR.
Renukoot	98.28	0.3	957780	94130618.00
Obra	113.048	0.3	957780	108275113.00
Kaimur	42.464X5	0.3	957780	203355849.60
	12.188	0.3	957780	11673422.64
Sonebhadra	15.79	0.3	957780	15123347.00
Mirzapur	37.51	0.3	957780	35926328.00
Total	319.28			468484678.2

Total loss to Environment

468484678 +46848468+140545403+234242339+305799998

1195920886

(b) **Parameters for evaluation of Benefit Not withstanding Loss**

S.no	Parameters	Description
1	Increase in productivity attributable to the specific project	Project is under the Tariff based and the tariff is fixed for next 35 years at the time of bidding Construction cost of project=4314.62 Lac. Revenue generated =21573.1 lac Hence benefit=17258.48 lac.
2	Benefit to economy due to specified project	Same as of above
3	No.of population benefited due to specified project	Directly or indirectly the complete state of Uttar Pradesh state will be benefited by this project
4	Economic benefit due to direct and indirect employment potential	The project is of 10 Km line length which require direct employment for the construction of above project. Benefit from Direct Employment estimated :50 man day x500=25000
5	Economic benefit due to specified project	Considering 957780/Ha including CA and soil & Moisture Conservation cost . Hence Total Losses= 957780x319.28=305799998

Benefit to Economy 1725848000+25000+305799998

2031672998

Cost Benefit ratio =1195920886/2031672998

0.59

प्रतिहस्ताक्षरित

06.02.2023

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर–वन प्रभाग
मीरजापुर

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड
उ० प्र० पा० ट्रा० का० लि०
गाजीपुर

उप खण्ड अधि...
विद्युत प्रेषण उप ख...

प्रस्तावित वन भूमि का नेट प्रजेण्ट वैल्यू (NPV)की गणना

प्रमाणित किया जाता है कि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड, (द्वितीय) उ0प्र0, पावर ट्रांशमिशन, कारपोरेशन लि0, वाराणसी द्वारा उ0प्र0, पावर ट्रांशमिशन, कारपोरेशन लि0, वाराणसी द्वारा 400 के0वी0 अनपरा वाराणसी डबल सर्किट पारेषण लाईन के निर्माण में प्रभावित मीरजापुर वन प्रभाग में 37.51 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के लीज नवीनीकरण की अनुमति के सम्बन्ध में प्रभावित वन भूमि का नेट प्रजेन्ट वैल्यू गणना (NPV)निम्नानुसार है :–

वन प्रकार	क्षेत्रफल हे0 में	इको क्लास	भारत सरकार का पत्र दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रति हे0 वैल्यू रू0 में	कुल वैल्यू रू0 मे (कालम संख्या 2x4)
आरक्षित वन	37.51	III	9,57,780.00	3,59,26,328.00 (तीन करोड़ उनसठ लाख छब्बीस हजार तीन सौ अठ्ठाइस रूपये)

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर